भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित संख्या- †5092

उत्तर देने की तारीख- 03/04/2023

ओडिशा की अनुसूचित जनजाति की सूची

†5092. श्री पिनाकी मिश्राः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को ओडिशा की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए ओडिशा सरकार से 169 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के एक कार्यबल ने वर्ष 2014 में ओडिशा की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए ओडिशा के नौ प्रस्तावों को प्राथमिकता मामलों के रूप में लेने की सिफारिश की थी;

(ग) यदि हां, तो इन समुदायों को आज तक शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के मानदंडों का नवीनीकरण करने पर विचार कर रही है, जो 1965 की लोकुर समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ङ): भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को निर्दिष्ट करने वाले आदेशों में समावेशन, से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के दावों का निर्णय करने की प्रविधियों को स्वीकृति दे दी है। इन प्रविधियों के अनुसार, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर आगे कार्रवाई की जा सकती है, जिनकी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नृवंशविज्ञान विवरण के साथ सिफारिश की गई है और उन्हें न्यायोचित ठहराया गया है। इसके बाद, विधान में संशोधन पर विचार करने से पहले भारत के महापंजीयक के कार्यालय (आरजीआईओ) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा इस पर सहमति प्राप्त की जानी होती है। किसी राज्य /संघ राज्यक्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों की सूची में समुदायों को शामिल करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ये प्रविधियां पर्याप्त हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा ओडिशा राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ आयोजित बैठकों में इन सभी प्रस्तावों की प्रारंभिक जांच की गई है। 120 प्रस्तावों के संबंध में, प्रासंगिक जानकारी/समर्थन रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। स्थिति से राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया है।

*****